राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3978/2025

पूजा तिवाड़ी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक :21.08.2025 **आदेश**
आदेश की दिनांक : 01.09.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरीराज राजोरिया अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड III, लेवल–I, के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बेहरू खेड़ा, राजसमंद में कार्यरत है। उनका आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29/30.06.2025 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजसमंद से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खानखल, सहाड़स जिला भीलवाड़ा में कर दिया गया। जो कि अपीलार्थी के निवास स्थान से 105 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी के 4 माह का छोटा बच्चा है। अपीलार्थी के सास भी काफी वृद्ध है, जो बीमार भी रहती है। ऐसे में अपीलार्थी ही घर–परिवार की देखभाल करती है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वर्तमान में अपीलार्थी के तहसील बनेड़ा में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, रैला में रिक्त पद पर पदस्थापन किये जाने का अनुरोध किया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29/30.06.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित

करे कि अपीलार्थी को नजदीकी स्थान पर अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के महात्मा गांधी राजकीय रैला, भीलवाड़ा में रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)